**राजस्थान सरकार**
**नगरीय विकास विभाग**

क्रमांकः प.10(12)नविवि/3/2010 जयपुर, दिनांकः यथा हस्ताक्षरित

**अधिसूचना**

इस विभाग द्वारा पूर्व में राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 3(1) के तहत जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17.02.2023 द्वारा 23 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए क्षितिज वर्ष–2042 तक के लिए नीमकाथाना मास्टर प्लान तैयार किये जाने हेतु वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर जोन, जयपुर को अधिकृत किया गया था। उक्त अधिसूचना की निरन्तरता में पूर्व में अधिसूचित 23 राजस्व ग्रामों के अतिरिक्त निम्न तालिका में अंकित 7 नवीन राजस्व ग्रामों को नीमकाथाना के नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित करते हुए नीमकाथाना मास्टर प्लान का क्षितिज वर्ष 2047 तक किया जाता है।

| क्र.सं. | राजस्व ग्राम का नाम (हिन्दी में) |
|---|---|
| 24. | चरणसिंहनगर |
| 25. | खुडालिया |
| 26. | तेतरवालो का बास |
| 27. | भूदोली |
| 28. | बरसिंहबास |
| 29. | गणेश्वर |
| 30. | गांवड़ी |

**राज्यपाल की आज्ञा से**

**(रवि विजय)**
**शासन उप सचिव–प्रथम**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, सीकर।
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व), राजस्थान, जयपुर।
6. वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर जोन, जयपुर।
7. आयुक्त, नगर परिषद, नीमकाथाना (सीकर)।
8. जिला नगर नियोजक, सीकर।
9. प्रौग्रामर, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक.............. में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने हेतु एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

**शासन उप सचिव–प्रथम**

Signature Not Verified
Digitally Signed by Ravi Vijay
Designation : Deputy Secretary To Government
Date :09-07-2025 12:54:19